

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्राथी : श्री कमलाशंकर

बनाम

विपक्षी : श्रीमती कुसुमदेवी व अन्य

केसम मुकदमा - 128 भूराजस्व अधिनियम

पत्रावली संख्या : 81/23

क्रमांक

कार्यवाही वितरण

दिनांक : 01/04/2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्राथी उपस्थित। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 से 8 अनुपस्थित हैं। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1 से 8 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली के अवलोकन से पाया की विपक्षी संख्या 9 द्वारा जवाब पेश किया जा चुका है जो आज रिकॉर्ड पर लिया गया। शामिल फाईल रहे। प्रकरण में बहस सुनी गई। प्रकरण में अधिवक्ता प्राथी द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में अधिवक्ता प्राथी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि के प्राथी एवं विपक्षी संख्या 1, 2 खातेदार काश्तकार होकर आधिपत्यधारी हैं। विपक्षी संख्या 3 से 7 दक्षिण दिशा के पडीरी है प्राथी एवं विपक्षी संख्या 3 से 7 के बीच प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है जिससे बचने के लिये प्राथी प्रार्थनाग्रस्त भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहता है जिससे प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 9 द्वारा पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। शेष विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया।

हमने अधिवक्ता प्राथी की बहस पर मनन किया। हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्राथी हिस्से अनुसार खातेदार हैं। खातेदार को अपनी भूमि पर पत्थरगढी करवाये जाने का पूर्ण अधिकार है। पत्थरगढी किये जाने से प्राथी एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमाकंन हो जायेगा तथा भविष्य में सीमा संबंधित विवाद नहीं रहेगा जिससे प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्राथी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा नारायणपुरा पटवार हल्का बडगांव, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की जमाबंदी 2078-81 की खाता संख्या नया 39 की आराजी न. 165 रकबा 0.0400 है। भूमि की चारो दिशाओं सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को 1000/- एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। यदि नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थनाग्रस्त भूमि की तरमीम व रिकॉर्ड में कोई त्रुटि हो तो पत्थरगढी नहीं की जावे। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्राथी का कब्जा नहीं है तो प्राथी कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीरा कमिश्नर राशि का भुगतान प्राथी अदा करेंगे।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

